न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी – कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 169/2019 रा0रा0अ0

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जरिये परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यालय इकाई दौसा जिला दौसा

...प्रार्थी

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी लालसोट जिला दौसा
2. रामसहाय पुत्र श्रवणलाल
3. रेवड पुत्र लोहडिया
4. मंगलराम पुत्र श्रवण
5. ज्याना देवी पत्नि स्व. श्रवण
6. मगनलाल पुत्र ग्यारसा
7. भोंरया पुत्र ग्यारसा
8. गोपी पुत्र ग्यारसा

समस्त निवासी ग्राम श्रीया तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा

...अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3 जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित– 1. श्री अभिनव जैन, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक: 11.01.2023

संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी, उपखंड अधिकारी लालसोट द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 07.03.2017 के द्वारा ग्राम श्रीया के खसरा नंबर 114/2 की अवाप्त भूमि के मुआवजा अवार्ड राशि 13,63,077/–रू0 का पारित कर दिया। उक्त अवार्ड आदेश दिनांक 07.3.2017 से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया व भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी लालसोट से बिन्दुवार टिप्पणी प्राप्त की गई। अप्रार्थी सं0 2 से 8 बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ... के दौसा–लालसोट–कोथून खण्ड के चौडाईकरण हेतु ग्राम श्रीया तह0 रामगढ पचवारा की भूमि खसरा नम्बर 114/2 अप्रार्थी संख्या 1 सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त की गई व मुआवजा अवार्ड दिनांक 07.03–2017 को बनाया गया था । उक्त अवार्ड जारी होने के पश्चात मौके पर ग्राम श्रीया तह0 रामगढ़ पचवारा व ग्राम निर्झरना तह0 लालसोट के हितबद्ध व्यक्तियों के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया जिसका कारण यह रहा कि ग्राम निर्झरना तह0 लालसोट एवं ग्राम श्रीया तह० रामगढ पचवारा दोनो

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:18:38 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर ....2 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

पास पास में स्थित है एवं इनकी सीमा रेखा आपस मे स्पर्श करती है । ग्राम निर्झरना के खसरा नम्बर 198/129 व 130 ग्राम श्रीया के खसरा नम्बर 114/2, 205/114,व 112 की सीमा रेखा से मिलते हुए है इसलिए तत्समय मौके पर दोनो ग्रामो की सीमा रेखा का सही निर्धारण नही हो पाया था। अवार्ड जारी होने के पश्चात विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण उक्त दोनो ग्रामो की सीमा का निर्धारण हेतु तहसीलदार लालसोट द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1100 दिनांक 29–5–2018 द्वारा भूप्रबंध अधिकारी महोदय जिला अलवर से सीमा निर्धारण करने हेतु दल भिजवाने का निवेदन किया एवं समय समय पर मिन प्रार्थी द्वारा भी निवेदन किया गया, जिस पर भू–प्रबंध अधिकारी अलवर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1081 दिनांक 3–6–2019 द्वारा अवगत कराया कि दिनांक 10–6–2019 से दोनो ग्रामो की सीमा का निर्धारण व सीमाज्ञान हो जाने तक सीमाज्ञान हेतु दल भिजवाया जा रहा है। उक्त पत्र के अनुक्रम में तहसील लालसोट एवं तहसील रामगढ पचवारा का राजस्व दल भी सीमाज्ञान हेतु दिनांक 10–6–19 को तैयार किया गया। दोनो दलो द्वारा दिनांक 10–6–19 से 20–6–19 तक मौके पर उपस्थित रह कर सीमाज्ञान किया गया व मिन प्रार्थी के कार्यालय में मौका पर्चा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। सीमाज्ञान किये जाने के पश्चात पूर्व में जारी किये गये अवार्ड एवं नवीन रकबा अनुसार ड्राफ्ट अवार्ड में रकबे के घटने बढने के कारण अवार्ड की राशि में भी अंतर आ गया है। वर्तमान में दोनो दलो से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 114/2 की भूमि के रकबे एवं अवार्ड राशि में आया अंतर इस प्रकार से है कि अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 08 को पुनः सीमाज्ञान से पूर्व अवाप्त की जाने वाली भूमि 0.7441है. की पूर्व में जारी अवार्ड राशि 13,63,077/– रू0 के स्थान पर सीमाज्ञान के पश्चात अवाप्त योग्य भूमि 0.4182 है.(4182 वर्ग मीटर) भूमि की मुआवजा राशि 8,65,465/– रू0 कर दी गई है। इस प्रकार पूर्व अवार्ड राशि में से 4,97,612/–रू0 की कमीं कर दी गई है। इस प्रकार खसरा नम्बर 114/2 के पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 13,63,077/– रू0 के स्थान पर 8,65,465/– रू0 किया जाना कानूनन सही है। इस प्रकार अंतर राशि 4,97,612/–रू0 की कमीं उक्त खसरा नंबर 114/2 के मुआवजे में किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर भूमि खसरा नम्बर 114/2 की पूर्व निर्धारित की गई अवार्ड राशि 13,63,077/–रू0 के स्थान पर प्रार्थना पत्र में वर्णित अप्रार्थी संख्या 2 लगा.8 के विवरणानुसार 8,65,465/– रू0 का अवार्ड जारी किये जाने के आदेश अप्रार्थी संख्या 1 सक्षम प्राधिकारी को फरमाया जावे।

पैरोकार सरकार ने बहस में निवेदन किया कि ग्राम श्रीया के खसरा नंबर 114/2 में से दौसा लालसोट कौथून खंड के चौडाईकरण हेतु भूमि अवाप्त की गई थी। ग्राम श्रीया तहसील रामगढ पचवारा व ग्राम निर्झरना तहसील लालसोट दोनों ग्राम पास–2 में स्थित है व इनकी सीमा रेखा का निर्धारण नहीं होने से हितबद्ध व्यक्तियों के मध्य विवाद की स्थिति थी। अवार्ड जारी होने के पश्चात विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण उक्त दोनों ग्रामों की सीमा निर्धारण हेतु तहसीलदार लालसोट द्वारा भू प्रबंध अधिकारी अलवर से सीमा निर्धारण हेतु दल भिजवाने हेतु निवेदन किये जाने पर भू प्रबंध अधिकारी अलवर द्वारा टीम भिजवाई जाकर तहसील लालसोट व तहसील रामगढ पचवारा [illegible] के साथ मौके पर उपस्थित होकर सीमाज्ञान किया जाकर मौका पर्चा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। सीमाज्ञान पश्चात प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर पूर्व में जारी अवार्ड के [illegible] 7441 वर्गमीटर था जो अब नवीन अवाप्त रकबा 4182 वर्गमीटर हो गया जिसके अनुसार अवार्ड में रकबे के घटने के कारण अवार्ड राशि में 4,97,612/–रू. का अंतर आ गया है। चूंकि पूर्व में जारी अवार्ड राशि 13,63,077/–रू. थी जो अब नवीन अवाप्त रकबे के अनुसार 8,65,465/–रू0 हो गई है जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:18:38 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर ...3 पर

जिला कलक्टर,दौसा

Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र सं0 169/2019 रा0रा0अ0

खसरा नंबर 114/2 वाके ग्राम श्रीया के खातेदारों में विभक्त की जानी है। खसरा नंबर 114/2 वाके ग्राम श्रीया तहसील रामगढ पचवारा हेतु पूर्व में जारी अवार्ड राशि 13,63,077/–रू. रकबा 7441 वर्गमीटर के स्थान पर वर्तमान में अवाप्त रकबा 4182 वर्गमीटर अनुसार 8,65,465/–रू0 अवार्ड स्वीकृत किये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं होना अवगत कराया गया।

अप्रार्थी सं0 2 से 8 बाद तामील अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी लालसोट की रिपोर्ट दिनांक 6.9.2019 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी लालसोट ने ग्राम श्रीया स्थित निजी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नबर 114/2 में से 7441 वर्गमीटर भूमि अवाप्त दौसा–लालसोट–कोथून खंड के चौडाईकरण हेतु अवाप्त किया गया था। जिसका भूमि अवाप्ति अधिकारी लालसोट ने 13,63,077/–रू. का अवार्ड पारित किया गया था। सीमाज्ञान पश्चात खसरा नंबर 114/2 का अवाप्त रकबा 7441 वर्गमीटर के स्थान पर 4182 वर्गमीटर रह जाने से संशोधित अवार्ड राशि 8,65,465/–रू0 पारित किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ग्राम श्रीया तहसील रामगढ पचवारा एवं ग्राम निर्झरना तहसील लालसोट दोनो ग्राम पास–पास में होने व इनकी सीमारेखा का निर्धारण नही होने से हितबद्ध व्यक्तियों के मध्य मुआवजा राशि का विवाद पैदा हो गया। उक्त ग्रामों की सीमा रेखा के निर्धारण नहीं होने पर भू प्रबंध अधिकारी अलवर द्वारा भिजवाई गई टीम ने तहसील लालसोट एवं रामगढ पचवारा की टीम के साथ सीमाज्ञान किया जाकर मौका पर्चा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। सीमाज्ञान के उपरांत ग्राम श्रीया की खसरा नंबर 114/2 की पूर्व में पारित अवार्ड के अनुसार रकबा 7441 वर्गमीटर रू0 13,63,077 का था जो कि सीमाज्ञान के पश्चात रकबा 4182 वर्गमीटर रह गया। हम प्रकरण में सीधे कोई कार्यवाही नहीं की जाकर भूमि अवाप्ति अधिकारी लालसोट को प्रकरण रिमांड किये जाने योग्य समझते है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी लालसोट द्वारा पारित अवार्ड के उस भाग को निरस्त किया जाता है जिसके द्वारा ग्राम श्रीया के खसरा नंबर 114/2 रकबा 7441 वर्गमीटर भूमि का अवार्ड पारित किया गया है। भूमि अवाप्ति अधिकारी लालसोट को प्रकरण इस आशय से रिमांड किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा उठाई गई आपत्ति एवं इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में पुनः सुनवाई की जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:18:38 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 11 जनवरी, 2023 को लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर, दौसा